

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनियारा (टोंक)

गोपी

बनाम जेमचन्द काँस्ट्र

रूम मुकदमा... दावा... नम्बर 108

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक नदालत गाँव पंचायत  
खोप पर प्रस्तुत हुई वादी गोपी न उतिवारी

धर्मि उपस्थित। वादी ने कलक कि उतिवारीगण  
वादी को उरुरी खानेदारी की धूमि खान न  
1477/3340, 1483, 1484, 1485, 1486 के  
0-25, 0-02, 0-20, 0-31, 0-19

जाने के रास्ते को अक्कड़ स्थित है उतिवारीगण  
की ओर है उपस्थित उतिवारी न उ धर्मि ने कहा कि  
हम वादी के रास्ते को नहीं रोक रहे हैं  
भर ना ही इसके रास्ते को रोके

अतः उतिवारीगण को प्रबन्ध  
किया जाता है कि वे वादी के उनके खानेदारी  
की धूमि खान न 1477/3340, 1483, 1484, 1485

1486 के उनके गाँव खोप में जाने वाले रास्ते  
0-19 के 0-25, 0-02, 0-20, 0-31

को किसी भी प्रकार से अक्कड़ नहीं रोके। धर्मि  
डिंडी जारी है। पत्रावली केवल मुदत होकर तब  
के तक ही निर्णय इसके नामक तय के सुतारा गणा

(6)